रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072020-220364
CG-DL-E-03072020-220364

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2020/आषाढ़ 12, 1942
No. 326] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2020/ASADHA 12, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 429(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के साथ पठित धारा 194क, 194ञ, 194ट, 194ठखक, 194ढ़, 194ण, 197 क और 200 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (16वां संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 31क के उपनियम (4) में,-

(क) खंड (viii) में, "जिस पर कर की कटौती" शब्दों के पश्चात् " या न्यूनतम दर पर कटौती" शब्द अत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (ix) के स्थान पर 1 जुलाई, 2020 से निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--

"(ix) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर धारा 194ढ़ के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या धारा 194ढ़ के तीसरे परंतुक में उपबंधित छूट को ध्यान में रखते हुए या धारा 194ढ़ के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, कर की कटौती नहीं की गई थी या न्यूनतम दर पर कर की कटौती की गई थी;";

(ग) खंड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(x) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर धारा 194क की उपधारा (5) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, कर की कटौती नहीं की गई थी या न्यूनतम दर पर कर की कटौती की गई थी ।

(xi) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर धारा 194ठखक की उपधारा (2क) के अधीन कर की कटौती नहीं की गई थी ।

(xii) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर धारा 197क की उपधारा (1घ) के खंड (क) या खंड (ख) को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई थी ।

(xii) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर 2002 के बोर्ड के परिपत्र सं. 3, तारीख 28 जून, 2002 या 2002 के बोर्ड के परिपत्र सं. 11, तारीख 22 नवंबर, 2002 अथवा 2017 के बोर्ड के परिपत्र सं. 18, तारीख 29 मई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रदत्त छूट को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई थी ।"

3. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में,

(I) प्ररूप 26 थ में—

(क) "[धारा 192क, 193, 194, 194क, 194ख, 194खख, 194ग, 194घ, 194घक, 194ङङ 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ठक, 194ठखक, 194ठखख, 194ठखग, 194ढ़ और नियम 31क देखिये]" कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "[धारा 192क, 193, 194, 194क, 194ख, 194खख, 194ग, 194घ, 194घक, 194ङङ 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ट, 194ठक, 194ठखक, 194ठखख, 194ठखग, 194ढ़, 194ण, 197क और नियम 31क देखिये]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाऐंगे;;

(ख) "उपाबंध" के स्थान पर निम्नलिखित "उपांबध" रखा जाएगा, अर्थात् :--

"[उपाबध: कटौती/ टीडीएस का पाने वाले के अनुसार विघटन

(मुख्य प्ररूप 26थ के क्रं. सं. 4 पर सारणी के प्रत्येक पंक्ति-मद के लिए प्रथृक उपाबंध का प्रयोग करे)

तारीख.....(दिन/मास/वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान संदत्त/जमा रकम और स्रोत पर काटे गये कर का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड/ प्ररूप सं. 24छ की प्राप्ति संख्या	
चालान जमा करने तारीख/अंतरण वाउचर की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
चालान क्रम संख्या/ प्ररूप 24छ की डीडीओं क्रम संख्या	
चालान के अनुसार रकम	
ऊर्ध्वाधर रूप में स्तंभ 421में कटौतीदारों/पाने वालों के बीच आंबटनीय कुल कर	
नीचे उल्लिखित कटौतीदारों/पाने वालों के बीच आबंटनीय कुल ब्याज	

कटौतीकर्ता/संदायकर्ता का नाम	
टैन	

क्र.सं.	कटौतीकर्ता/संदायकर्ता द्वारा प्रदान की गई कटौतीदार/पाने वाले की संदर्भ संख्या, यदि उपलब्ध हो	कटौतीदार/पाने वाले का कोड (01-कंपनी 02-कंपनी से भिन्न)	कटौतीदार/पाने वाले का पैन	कटौतीदार/पाने वाले का नाम	सेक्शन कोड (टिप्पण 12 देखे)	संदाय या जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	संदत्त या जमा की गई रकम	*धारा 194ढ में यथा निर्दिष्ट 1 करोड के आधिक्य में निकाली गई रकम (धारा 194ढ मे पहले परंतुक में समाविष्ट नहीं होने की दशा में)	*निकाली गई नकद रकम जो धारा 194ढ के पहले परंतुक के खंड(ii) के उपखंड(क) द्वारा समाविष्ट मामलों के लिए 20 लाख रू से अधिक है लेकिन 1 करोड रू अधिक नहीं हैं	*निकाली गई नकद रकम जो धारा 194ढ के पहले परंतुक के खंड(ii) के उपखंड(ख) द्वारा समाविष्ट मामलों के लिए 1 करोड रू अधिक हैं	काटा गया कुल कर	जमा किया गया कुल कर	कटौती की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	वह दर जिस पर कटौती की गई है	कटौती न करने /निम्न कटौती करने /उच्च कटौती करने /थ्रेशहोल्ड/परिवाहक आदि. के कारण (टिप्पण 1 से 11 देखे)	धारा 197 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती न करने/न्यूनतम कटौती करने के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्र की संख्या
[412]	*[413]*	*[414]*	*[415]*	*[416]*	*[417]*	*[418]*	*[419]*	*[419क]*	*[419ख]*	*[419ग]*	*[420]*	*[421]*	*[422]*	*[423]*	*[424]*	*[425]*
1																
2																
3																
कुल																

सत्यापन

मैं,....., सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान:

स्रौत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

स्रौत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण:

1. "क" लिखे, यदि धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे "न्यूनतम कटौती की गई है" या "कटौती नहीं की गई है"।
2. "ख" लिखे,यदि धारा 197क की उपधारा (1च) में उल्लिखित मामलों से भिन्न, धारा 197क के अधीन घोषणा के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
3. "ग" लिखे, यदि कटौतीदार/पाने वाले द्वारा पैन न प्रस्तुत करने के मद्दे उच्च दर पर कटौती की गई है।.
4. "घ" लिखे, यदि धारा 194क की उपधारा (5) अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किए गए संदाय के मददे कोई कटौती नहीं की गई हैं या कम कटौती की गई है।
5. "ङ" लिखे, यदि 2002 के बोर्ड परिपत्र सं. 3, तारीख 28 जून, 2002 या 2002 के बोर्ड परिपत्र सं. 11, तारीख 22 नवंबर, 2002 अथवा 2017 के बोर्ड परिपत्र सं. 18, तारीख 29 मई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई हैं।
6. "म" लिखे, यदि आय-कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट थ्रेसहोल्ड सीमा से नीचे संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
7. "न" लिखे, यदि परिवाहक होने पर कटौतीदार/पाने वाले के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है। कटौतीदार/पाने वाले का पैन आवश्यक है। [धारा 194ग(6)]
8. "य" लिखे, यदि धारा 197क(1च) के अधीन अधिसूचित संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।
9. "ड" लिखे, यदि धारा 194ढ़ के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।*
10. "ढ़" लिखे, यदि या धारा 194ढ़ के तीसरे परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे या धारा 194ढ़ के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई है या न्यूनतम दर पर कर की कटौती की गई है।*
11. "ण" लिखे, यदि धारा 194ठखक की उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुसार कटौती नहीं की गई है ।
12. धारा कोड की सूची निम्नानुसार है:

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192 क	कर्मचारी को देय संचयित अतिशेष का संदाय	*192*क
193	प्रतिभूतियों पर ब्याज	*193*
194	लाभांश	*194*
*194*क	प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज	*94*क
*194*ख	क्रासवर्ड पजल्स और लाटरियों से जीती हुई रकम	*94*ख
*194*खख	घुड़दौड़ से जीती हुई रकम	*4*खख
*194*ग	संविदाकार और उप-संविदाकार को संदाय	*94*ग
*194*घ	बीमा कमीशन	*94*घ
*194*घक	जीवन बीमा पॉलिसी के संबध में संदाय	*4*घक
*194*ङ	राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अधीन जमा से संबधित संदाय	*4*ङ
*194*च	म्युचअल फंडों या यूटीआई की यूनिटों के पुन:क्रय की बाबत् संदाय	*94*च
*194*छ	लाटरी के टिकटों के विक्रय पर कमीशन, पुरस्कार	*94*छ
*194*ज	कमीशन या दलाली	*94*ज
*194-*झ*(*क*)*	किराया	*4-*झक
*194-*झ*(*ख*)*	किराया	*4-*झख
*194*ञ*(*क*)*	तकनीकी सेवाओं के फीस (जो वृत्तिक सेवाएं नहीं है), चलचित्र फिल्मों के व्रिकय, वितरण या प्रर्दशन के लिए स्वामिस्व और कॉल सेंटर के लिए, दो प्रतिशत की दर पर	*94*ञ-क
*194*ञ *(*ख*)*	वृत्तिक सेवाओं या स्वामिस्व के लिए फीस (10 प्रतिशत की दर पर)	*94*ञ-ख
*194*ट	यूनिटों के संबध में आय	*94*ट
*194*ठक	कतिपय स्थावर सम्पत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय	*4*ठक
*194*ठखक *(*क*)*	आवासिक यूनिट धारक की कारबार न्यास यूनिटों से ब्याज के रूप में कतिपय आय	*4*खक1
*194*ठखक*(*ख*)*	आवासिक यूनिट धारक की कारबार न्यास यूनिटों से लाभांश के रूप में कतिपय आय	*4*खक*2*
*194*ठख	विनिधान की यूनिटों के संबध में आय	ठखख
*194*ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास के विनिधान के संबध में आय	ठखग
**194*ड़	कतिपय रकम का नकद में संदाय	*94*ड़

*194ढ़ पहला परंतुक	नान-फाईलरर्स को कतिपय रकम का नकद में संदाय	94ढ़-च
#194-ण	ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा ई-वाणिज्य सहभागियों को कतिपय राशियों का संदाय	94ण"

(II) प्ररूप 27थ में—

(क) "[धारा 194ङ, 194ठख, (194ठखक, 194ठखख, 194ठखग), 194ठग 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और नियम 31क देखिये] कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर [धारा 194ङ, 194ठख, (194ठखक, 194ठखख, 194ठखग), 194ठग, 194ढ़, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, 197क और नियम 31क देखिये] कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाऐंगे;";

(ख) "उपाबंध" के स्थान पर निम्नलिखित "उपांबध" रखा जाएगा, अर्थात् :--

"[उपाबध: टीडीएस का पाने वाले के अनुसार विघटन

(मुख्य प्ररूप 27थ के क्रं. सं. 4 पर सारणी के प्रत्येक पंक्ति-मद के लिए प्रथृक उपाबंध का प्रयोग करे)

तारीख.....(दिन/मास/वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान संदत्त/जमा रकम और स्रोत पर काटे गये कर का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड/ प्ररूप सं. 24छ की प्राप्ति संख्या	
चालान जमा करने तारीख/अंतरण वाउचर की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
चालान क्रम संख्या/ प्ररूप 24छ डीडीओं क्रम संख्या	
चालान के अनुसार रकम	
ऊर्ध्वाधर रूप में स्तंभ 726 में कटौतीदारों के बीच आंबटनीय कुल कर	
नीचे उल्लिखित कटौतीदारों के बीच आबंटनीय कुल ब्याज	

कटौतीकर्ता/संदायकर्ता का नाम	
टैन	

क्र.सं.	कटौतीदार द्वारा प्रदान की गई कटौतीदार की संदर्भ संख्या, यदि उपलब्ध हो	कटौतीदार का कोड (01- कंपनी 02- कंपनी से भिन्न)	कटौतीदार की [स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या] [टिप्पण *9* देखे]	कटौतीदार का नाम	सेक्शन कोड (टिप्पण 8 देखे)	संदाय या जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	*धारा 194ढ़ में यथा निर्दिष्ट 1 करोड के आधिक्य में निकाली गई रकम (धारा 194ढ़ मे पहले परंतुक में समाविष्ट नहीं होने की दशा में)	*निकाली गई नकद रकम जो धारा 194ढ़ के पहले परंतुक के खंड(ii) के उपखंड(क) द्वारा समाविष्ट मामलों के लिए 20 लाख रू से अधिक हैं लेकिन 1 करोड रू अधिक नहीं हैं	*निकाली गई नकद रकम जो धारा 194ढ़ के पहले परंतुक के खंड(ii) के उपखंड(ख) द्वारा समाविष्ट मामलों के लिए 1 करोड रू अधिक हैं	संदत्त या जमा की गई रकम	कर	अधिभार	शिक्षा उपकर	काटा गया कुल कर*[722+ 723 + 724]*	कुल जमा किया गया कर
[714]	*[715]*	*[716]*	*[717]*	*[718]*	*[719]*	*[720]*	*[720क]*	*[720ख]*	*[720ग]*	*[721]*	*[722]*	*[723]*	*[724]*	*[725]*	*[726]*
1															
2															
3															
कुल															

कटौती की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	वह दर जिस पर कटौती की गई है	कटौती न करने /निम्न कटौती करने/ग्रास अप करने/उच्चतम कटौती करने के कारण (टिप्पण 1 से 3 देखे)	निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती न करने/न्यूनतक कटौती करने के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्र की संख्या	क्या टीडीएस की दर आईटी अधिनियम (क) डीटीएए (ख) के अनुसार है	प्रेषण की प्रकृति	तत्स्थानी प्ररूप सं. 15गक की विशिष्ट पावती, यदि उपलब्ध हो	वह देश जिसको प्रेषण किया गया है	कटौतीदार की ई-मेल आईडी	कटौतीदार की संपर्क संख्या	कटौतीदार के देश में निवास का पता	कटौतीदार की कर पहचान संख्या/विशिष्ट पहचान संख्या
[727]	*[728]*	*[729]*	*[730]*	*[731]*	*[732]*	*[733]*	*[734]*	*735*	*736*	*737*	*738*
1											
2											
3											
योग											

सत्यापन

मैं,....., सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।.

स्थान:

स्रौत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

स्रौत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण:

1. 'क"लिखे, यदि धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे "न्यूनतम कटौती की गई है"या 'कटौती नहीं की गई है"।
2. 'ख"लिखे, यदि ग्रासअप किया गया है।
3. 'घ"लिखे, यदि यदि कटौतीदार द्वारा [स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या] प्रस्तुत न करने के मद्दे उच्च दर पर कटौती की गई है।.
4. 'ण"लिखे, यदि धारा 194ठखक की उपधारा (2क) को ध्यान में रखते हुए कटौती नहीं की गई है ।
5. 'ङ"लिखे, यदि धारा 194ढ़ के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या न्यूनतम कटौती की गई है।
6. 'ढ़"लिखे, यदि या धारा 194ढ़ के तीसरे परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे या धारा 194ढ़ के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती न्यूनतम दर पर कर की कटौती नहीं की गई है।
7. "छ"लिखे, यदि धारा 197 की उपधारा (1घ) के खंड (क) या खंड (ख) को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं की गई है
8. धारा कोड की सूची निम्नानुसार है:

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी को देय संचयित अतिशेष का संदाय	192क
194ङ	अनिवासी खिलाड़ियों/खेल सहयोजनों को संदाय	94ङ
194ठख	अवसंरचना ऋण निधि के ब्याज से आय	4ठख
194ठखक(क)	कारबार न्यास की यूनिटों से धारा 10(23चग)(क) में निर्दिष्ट आय	ठखक 1

194 ठखक (ख)	कारबार न्यास की यूनिटों से धारा 10(23चग)(ख) में निर्दिष्ट आय	ठखक 2
194 ठखक (ग)	कारबार न्यास की यूनिटों से धारा 10(23चगक) में निर्दिष्ट आय	ठखक 3
194ठखख	विनिधान निधि की यूनिटों की बाबत् आय	ठखख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान की बाबत् आय	ठखग
194ठग	भारतीय कंपनी से ब्याज से आय	4ठग
194ठघ	कतिपय बंधपत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय	*4* ठघ
**194ढ़*	कतिपय रकम का नकद में संदाय	*94ढ़*
**194ढ* पहला परंतुक	नान-फाईलरर्स को कतिपय रकम का नकद में संदाय	*94ढ़*-च
195	अनिवासी को संदेय अन्य राशि	195
196क	अनिवासियों की यूनिटों की बाबत् आय	96क
196ख	आफशोर निधि की यूनिटों की बाबत् आय	96ख
196ग	अनिवासी भारतीय कंपनी को संदेय विदेशी मुद्रा बांड या शेयरों से आय	96ग
196घ	विदेशी संस्थागत निवेशकों की प्रतिभूतियों से आय	96घ

9. नियम37खग के अधीन आने वाले कटौतीकर्ताओं के मामले में,"स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या उपलब्ध नहीं है" है उल्लिखित होना चाहिए ।"

*धारा 194ढ़ के संबंध में, परिवर्तन 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी होंगे ।

#धारा 194ण के संबंध में, परिवर्तन 1 अक्तूबर, 2020 से प्रभावी होंगे ।

[अधिसूचना सं. 43/2020/फा. सं. 370142/11/2020-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण- (1) मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 421(अ), तारीख 30.06.2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2020

INCOME-TAX

G.S.R. 429(E).— In exercise of the powers conferred by sections 194A, 194J, 194K, 194LBA, 194N, 194-O, 197A and 200 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby, makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Income-tax (16th Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 31A, in sub-rule (4), --

(a) in clause (viii), after the words "not deducted", the words "or deducted at lower rate" shall be inserted;

(b) for clause (ix) the following shall be substituted from the 1st day of July, 2020, namely:-

"(ix) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted or deducted at lower rate in view of the notification issued under second proviso to section 194N or in view of the exemption provided in third proviso to section 194N or in view of the notification issued under fourth proviso to section 194N";

(c) after clause (ix), the following clauses shall be inserted, namely:--

"(x) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted or deducted at lower rate in view of the notification issued under sub-section (5) of section 194A.

(xi) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted under sub-section (2A) of section 194LBA.

(xii) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted in view of clause (a) or clause (b) of sub-section (1D) of section 197A.

(xiii) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted in view of the exemption provided to persons referred to in Board Circular No. 3 of 2002 dated 28th June 2002 or Board Circular No. 11 of 2002 dated 22nd November 2002 or Board Circular No. 18 of 2017 dated 29th May 2017."

3. In the principal rules, in Appendix II,

(I) in form 26Q –

(a) for the brackets, words, figures and letters

"[See sections 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194LA, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194N and rule 31A]"

the following brackets, words, figures and letters

"[See sections 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194K, 194LA, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194N, 194-O, 197A and rule 31A]" shall be substituted;

(b) for the "Annexure", the following "Annexure" shall be substituted, namely :-

"[*ANNEXURE: DEDUCTEE/PAYEE WISE BREAK UP OF TDS*

(Please use separate Annexure for each line-item in Table at Sl. No. 4 of main Form 26Q)

Details of amount paid/credited during the quarter ended……. (dd/mm/yyyy) and of tax deducted at source

BSR Code of branch/Receipt Number of Form No. 24G	
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)	
Challan Serial Number / DDO Serial No. of Form No. 24G	
Amount as per Challan	
Total tax to be allocated among deductees/payees as in the vertical total of Col. 421	
Total interest to be allocated among the deductees/payees mentioned below	

Name of the Deductor/Payer	
TAN	

Sl. No.	***Deductee /payee reference number provided by the deductor/payer, if available***	***Deductee/ payee code (01-Company 02-Other than company)***	***PAN of the deductee/ payee***	***Name of the deductee/ payee***	***Section code (See Note 12)***	***Date of payment or credit (dd/mm/ yyyy)***	***Amount paid or credited***	***Amount of cash withdrawal in excess of Rs. 1 crore as referred to in section 194N (in cases not covered by the first proviso to section 194N)***	***Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs. 20 lakhs but does not exceed Rs. 1 crore for cases covered by sub-clause (a) of clause (ii) of first proviso to section 194N***	***Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs. 1 crore for cases covered by sub-clause (b) of clause (ii) of first proviso to section 194N***	***Total tax deducted***	***Total tax deposited***	***Date of deduction (dd/mm/yyyy)***	***Rate at which deducted***	***Reason for non-deduction/ lower deduction/ Higher Deduction/ Threshold/ Transporter etc. (See notes 1 to 11)***	***Number of the certificate under section 197 issued by the Assessing Officer for non-deduction/ lower deduction***
[412]	*[413]*	*[414]*	*[415]*	*[416]*	*[417]*	*[418]*	*[419]*	*[419A]*	*[419B]*	*[419C]*	*[420]*	*[421]*	*[422]*	*[423]*	*[424]*	*[425]*
1																
2																
3																
Total																

Verification

I, ... , hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: ……..

Date: ……..

……..

Signature of the person responsible for deducting tax at source

……..

Name and designation of the person responsible for deducting tax at source

Notes:

1. *Write "A" if "lower deduction" or "no deduction" is on account of a certificate under section 197.*
2. *Write "B" if no deduction is on account of declaration under section 197A other than the cases mentioned in sub-section (1F) of section 197A.*
3. *Write "C" if deduction is on higher rate on account of non-furnishing of PAN by the deductee/payee.*
4. *Write "D" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person or class of person on accont of notification issued under sub-section (5) of section 194A.*
5. *Write "E" if no deduction is on account of payment being made to a person referred to in Board Circular no. 3 of 2002 dated 28th June, 2002 or Board Circular no. 11 of 2002 dated 22nd November, 2002 or Board Circular no. 18 of 2017 dated 28th May, 2017.*
6. *Write "Y" if no deduction is on account of payment below threshold limit specified in the Income-tax Act, 1961.*
7. *Write "T" if no deduction is on account of deductee/payee being transporter. PAN of deductee/payee is mandatory [section 194C (6)].*
8. *Write "Z" if no deduction or lower deduction is on account of payment being notified under section 197A (1F).*
9. *Write "M" if no deduction or lower deduction is on account of notification issued under second proviso to section 194N.**
10. *Write "N" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person referred to in the third proviso to section 194N or on account of notification issued under the fourth proviso to section 194N.**
11. *Write "O" if no deduction is as per the provisions of sub-section (2A) of section 194LBA.*
12. *List of section codes is as under:*

Section	***Nature of Payment***	***Section Code***
192A	*Payment of accumulated balance due to an employee*	*192A*
193	*Interest on securities*	*193*
194	*dividend*	*194*
194A	*Interest other than interest on securities*	*94A*

194B	*Winnings from lotteries and crossword puzzles*	*94B*
194BB	*Winnings from horse race*	*4BB*
194C	*Payment of contractors and sub-contractors*	*94C*
194D	*Insurance Commission*	*94D*
194DA	*Payment in respect of life insurance policy*	*4DA*
194EE	*Payments in respect of deposits under National Savings Schemes*	*4EE*
194F	*Payments on account of repurchase of Units by Mutual Funds or UTIs*	*94F*
194G	*Commission, prize etc., on sale of lottery tickets*	*94G*
194H	*Commission or Brokerage*	*94H*
194-I(a)	*Rent*	*4-IA*
194-I (b)	*Rent*	*4-IB*
194J(a)	*Fees for Technical Services(not being professional services), royalty for sale, distribution or exhibition of cinematographic films and call centre (@2%)*	*94J-A*
194J (b)	*Fee for professional service or royalty etc. (@10%)*	*94J-B*
194K	*Income in respects of units.*	*94K*
194LA	*Payment of Compensation on acquisition of certain immovable property*	*4LA*
194LBA(a)	*Certain income in the form of interest from units of a business trust to a residential unit holder*	*4BA1*
194LBA(b)	*Certain income in the form of dividend from units of a business trust to a resident unit holder*	*4BA2*
194LB	*Income in respect of units of investment fund*	*LBB*
194LBC	*Income in respect of investment in securitization trust*	*LBC*
194N	*Payment of certain amounts in cash*	*94N*
*194N First proviso**	*Payment of certain amounts in cash to non-filers*	*94N-F*
#194-O	*Payment of certain sums by e-commerce operator to e-commerce participant*	*94O"*

(II) in form 27Q --

(a) for the brackets, words, figures and letters

"[See sections 194E, 194LB, [194LBA, 194LBB, 194LBC], 194LC, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, and rule 31A]"

the brackets, words, figures and letters

"[See section 194E, 194LB, [194LBA, 194LBB, 194LBC], 194LC, 194N, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, 197A and rule 31A]" shall be substituted;

(b) for the "Annexure" the following "Annexure" shall be substituted, namely:--

"[ANNEXURE: DEDUCTEE WISE BREAK UP OF TDS]

(Please use separate Annexure for each line item in Table at Sl. No. 04 of main Form 27Q)

Details of amount paid/credited during the quarter ended (dd/mm/yyyy) and of tax deducted at source

Name of the Deductor/Payer

BSR Code of branch/Receipt Number of Form No. 24G	
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)	
Challan Serial Number/DDO Serial No. of Form No. 24G	
Amount as per Challan	
Total TDS to be allocated among deductees as in the vertical total of Col. 726	
Total interest to be allocated among the deductees mentioned below	

TAN	

Sl. No.	*Deductee reference number provided by the deductor, if available*	*Deductee code (01-Company 02-Other than company)*	[Permanent Account Number or Aadhaar Number] *of the deductee* [see *note 9*]	*Name of the deductee*	*Section code* (See *Note 8)*	*Date of payment or credit (dd/mm/yyyy)*	*Amount of cash withdrawal in excess of Rs. 1 core as referred to in section 194N (in cases not covered by the first proviso to section*	***Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs. 20 lakhs but does not exceed Rs. 1 crore for cases covered by sub-clause (a) of***	***Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs. 1 crore for cases covered by sub-clause (b) of clause (ii) of first proviso to section***	*Amount paid or credited*	*Tax*	*Surcharge*	*Education Cess*	*Total tax deducted [722+ 723 + 724]*	*Total tax deposited*

							*194N)**	***clause (ii) of first proviso to section 194N****	***194N **						
[714]	*[715]*	*[716]*	*[717]*	*[718]*	*[719]*	*[720]*	*[720A]*	*[720B]*	*[720C]*	*[721]*	*[722]*	*[723]*	*[724]*	*[725]*	*[726]*
1															
2															
3															
Total															

Date of deduction (dd/mm/yyyy)	*Rate at which deducted*	*Reason for non-deduction/ lower deduction/ grossing up/ Higher Deduction (*See *notes 1 to 3)*	*Number of the certificate issued by the Assessing Officer for non-deduction/ lower deduction*	*Whether the rate of TDS is as per IT Act (a) DTAA (b)*	*Nature of Remittance*	*Unique Acknowledgement of the corresponding Form No. 15CA, if available*	*Country to which remittance is made*	*Email ID of deductee*	*Contact number of deductee*	*Address of deductee in country of residence*	*Tax Identification Number/ Unique identification number of deductee*
[727]	*[728]*	*[729]*	*[730]*	*[731]*	*[732]*	*[733]*	*[734]*	*735*	*736*	*737*	*738*
1											
2											
3											
Total											

Verification

I, ..., hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

.....

Place: *Signature of the person responsible for deducting tax at source*

Date:

Name and designation of the person responsible for deducting tax at source

Notes:

1. Write "A" if "lower deduction" or "no deduction" is on account of a certificate under section 197.
2. Write "C" if grossing up has been done.
3. Write "D" if deduction is on higher rate on account of non-furnishing of [*Permanent Account Number or Aadhaar Number*] by the deductee.
4. Write "O" if no deduction is in view of sub-section (2A) of section 194LBA.
5. Write "M" if no deduction or lower deduction is on account of notification issued under second provison to section 194N.*
6. Write "N" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person referred to in the third proviso to section 194N or on account of notification issued under the fourth proviso to section 194N.*
7. Write "G" if no deduction is in view of clause (a) or clause (b) of sub-section (1D) of section 197A.
8. List of section codes is as under:

Section	*Nature of Payment*	*Section Code*
192A	Payment of accumulated balance due to an employee	192A
194E	Payments to non-resident Sportsmen/Sport Associations	94E
194LB	Income by way of interest from infrastructure debt fund	4LB
194LBA(a)	Income referred to in section 10(23FC)(a) from units of a business trust	LBA1
194LBA (b)	Income referred to in section 10(23FC)(b) from units of a business trust	LBA2
194LBA(c)	Income referred to in section 10(23FCA) from units of a business trust	LBA3
194LBB	Income in respect of units of investment fund	LBB
194LBC	Income in respect of investment in securitisation trust	LBC]
194LC	Income by way of interest from Indian company	4LC
194LD	*Income by way of interest on certain bonds and Government securities.*	*4LD*
194N	*Payment of certain amounts in cash*	*94N*

*194N First Proviso**	*Payment of certain amount in cash to non-filers.*	*94N-F*
195	Other sums payable to a non-resident	195
196A	Income in respect of units of Non-Residents	96A
196B	Payments in respect of Units to an Offshore Fund	96B
196C	Income from Foreign Currency Bonds or shares of Indian Company payable to Non-Resident	96C
196D	Income of foreign institutional investors from securities	96D

9. In case of deductees covered under rule 37BC, *Permanent Account Number or Aadhaar Number* NOT AVAILABLE" should be mentioned."

*in relation to section 194N, the changes shall come into effect from 1st July, 2020.
#in relation to section 194-O, the changes shall come into effect from 1st October, 2020.

[Notification No. 43/2020/F. No. 370142/11/2020-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 423 (E), dated 30.06.2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.03 21:42:41 +05'30'